

कार्यालय कलेक्टर ई-गवर्नेंस सोसायटी सीहोर जिला सीहोर (म0प्र0)

क्र. 1.08/ई-गव0/2016

सीहोर, दिनांक 24.1.16/2016

::सीमित निविदा ::

जिले के समस्त स्वॉन पॉप कक्षों हेतु आवश्यकता अनुसार नवीन बैटरियाँ क्रय एवं स्थापित पुरानी बैटरियाँ की वापसी खरीद की जाना है :-

क्र.	प्रकार	कंपनी एवं विनिर्देश	मात्रा (संख्या)
01	क्रय की जाने वाली बैटरी	Amara Raja Quanta 12V, 65 AH SMF Batteries	32
02	वापस खरीद की जाने वाली बैटरी	Emerson Batteries	64

उपरोक्तानुसार सामग्री क्रमांक 01 क्रय किये जाने तथा सामग्री क्रमांक 02 वापसी खरीद हेतु पंजीकृत एवं योग्य आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। सीमित निविदा की सूचना एवं निविदा की नियम एवं शर्तें कार्यालय से एवं जिले की वेबसाईट www.Sehor.nic.in से प्राप्त की जा सकती हैं। इच्छुक पंजीकृत एवं योग्य आपूर्तिकर्ताओं जो सीमित निविदा में दी गई शर्तों के अनुसार योग्यता रखते हैं वे दिनांक 30/09/2016 को समय दोपहर 03:00 बजे तक मुहरबंद सीमित निविदा कार्यालय में जमा कर सकेंगे। निविदाएं उसी दिन अपरान्ह 04:00 बजे खोली जायेगी। सामग्री का क्रय/वापसी खरीद (Purchaes/Buy Back) निम्न नियम एवं शर्तों के अधीन रहेंगे।

नियम एवं शर्तें :-

- 1:- निविदाएं सादे कागज पर स्याही से अंकित किया गया अथवा टंकित किया गया आवेदन प्रारूप जिसमें निविदाकर्ता फर्म का नाम, सम्पूर्ण पता, दूरभाष, ई-मेल आई डी, बैंक या जीवित पंजीयन, सामग्री की कर सहित दर (कर की दरें पृथक से उल्लेखित की जावे), एवं विनिर्देशन आदि का संपूर्ण विवरण दिया जावे। आवेदन प्रारूप मुहरबंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से "बैटरी हेतु सीमित निविदा" लिखा जावे। टीप लिखे एवं सशर्त आवेदन मान्य होंगे।
- 2:- बैटरियां क्रय की जाने वाली चयनित आपूर्तिकर्ता/फर्म द्वारा अनिवार्यतः खराब बैटरियों की वापसी खरीद की जावेगी।
- 3:- आपूर्तिकर्ता द्वारा बैटरियाँ जिले अंतर्गत तहसील कार्यालय/स्वॉन पॉप कक्षों में उपलब्ध करानी होगी।
- 4:- क्रय की जाने वाली सामग्री एवं वापसी खरीद सामग्री की पृथक-पृथक दरें प्रति ईकाई के मान से प्रस्तुत की जावेगी। अन्यथा कोटेशन मान्य नहीं होगा।
- 5:- निविदाकर्ता को उसकी निविदा स्वीकृत होने की दशा में कार्यादेश प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर सामग्री नियत कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा कार्यालय तक सामग्री पहुंचाने का व्यय निविदाकर्ता को वहन कराना होगा।
- 6:- किसी भी प्रकार की स्थिति में कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला ई-गवर्नेंस सोसा0 सीहोर
जिला-सीहोर

कार्यालय कलेक्टर ई-गवर्नेस सोसायटी सीहोर जिला सीहोर (म0प्र0)

क्र...../ ई-गव0/2016

सीहोर, दिनांक...../...../2016

क्र. ~~१०४~~ / ई-गव0/2016

सीहोर, दिनांक १५.११.२०१६

प्रतिलिपि -

- 01:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी मैपआईटी की ओर सूचनार्थ।
- 02:- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं जिले की वेबसाईट अपडेट करने हेतु।
- 03:- जिला नाजिर की ओर कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला ई-गवर्नेस सोसा0 सीहोर
जिला-सीहोर

प्रति,